प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निदेशालय
खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार)

3, इर्ला रोड, विले पार्ले (पश्चिम), मुंबई -56 (pmegp.kvic@gov.in)

पीएमईजीपी/नीति /2023-24 दिनांक: 25.05.2023

परिपत्र

विषय: पीएमईजीपी के तहत प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन ईडीपी भुगतान का केंद्रीकरण

कृपया परिपत्र सं.पीएमईजीपी/बीएफएल/ईडीपी/डी-सेंट/2022-23 दिनांक 09.05.2022 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अंतर्गत पीएमईजीपी के तहत ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण और निगरानी के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देशों के संबंध में अवगत कराया गया है ।

ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण कार्यक्रम और पीएमईजीपी पोर्टल को डाटा साझा करने और लाभार्थियों द्वारा प्रशिक्षण पूरा होने करने पर ऑनलाइन प्रमाण पत्र तैयार करने के लिए एकीकृत किया गया था। इस संबंध में अवगत कराना है कि आवेदन जनरेट कर उनकी संवीक्षा की जा रही है और क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित कार्यान्वयी अभिकरणों द्वारा वित्तपोषण बैंक अग्रेषित किया जा रहा है।

बैंक क्रेडिट निर्णय लेता है और पोर्टल पर मार्जिन मनी का दावा जनरेट करता है जो सीधे केवीआईसी के मुख्यालय में आता है । ऑफ़लाइन ईडीपी प्रशिक्षण का आयोजन और निगरानी संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों के समन्वय से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जा रही है, जो कार्यान्वयन एजेंसियों को चेक और बैलेन्स प्रदान करता है जहां से आवेदन उत्पन्न हुआ था। ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण की जानकारी के प्रवाह को केवीआईसी के राज्य/मंडलीय कार्यालयों में विकेंद्रीकृत किया गया था ताकि ऑफ़लाइन ईडीपी प्रशिक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया के समान ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण की प्रभावी भागीदारी और उचित चेक और बैलेन्स हो सके और दिनांक 1 मार्च 2022 से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को आवंटित बी एंड एफएल बजट के तहत प्रशिक्षण प्रदाता को भुगतान जारी किया जा सके।

दिनांक 12.04.2023 को आयोजित आयोग की696 वी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, ऑनलाइन ईडीपी के भुगतान की प्रक्रिया को निम्नलिखित तौर-तरीकों के साथ केंद्रीकृत किया गया है:–

1. सभी कार्यान्वयी अभिकरणों के लाभार्थियों के संबंध में ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्रदाता भुगतान जारी करने हेतु केवीआईसी के राज्य/मंडलीय कार्यालयों के राज्य/कार्यालयवार मासिक चालान तैयार करेगा। ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्रदाता भुगतान को संसाधित करने हेतु चालान पर केवीआईसी, मुख्यालय , मुंबई का जीएसटी नंबर निर्दिष्ट करेगा।

2. केवीआईसी के क्षेत्रीय कार्यालय ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा अपलोड किए गए चालान की संवीक्षा, जांच और सत्यापन करेंगे और भुगतान जारी करने हेतु केंद्रीय कार्यालय को सिफारिश करेंगे।

3. पीएमईजीपी निदेशालय भुगतान की प्रक्रिया हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुशंसित किए गए अनुसार मासिक आधार पर कार्यालयवार भुगतान को समेकित करेगा।

4. यह केवल ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षण पर लागू होगा और ऑफ़लाइन ईडीपी प्रशिक्षण प्रणाली की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।

5. राज्य/ मंडलीय कार्यालय दिनांक 31.03.2023 तक पूर्ण किए गए प्रशिक्षण के भुगतान की प्रक्रिया और निपटान अगले माह के दौरान प्राप्त चालान के सापेक्ष ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदाता को करेंगे।

6. यह परिपत्र 1 अप्रैल 2023 से पूर्ण होने वाले सभी ऑनलाइन ईडीपी प्रशिक्षणों पर लागू होगा।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, राज्य/मंडलीय निदेशकों से अनुरोध है कि वे अनुपालन हेतु इस परिपत्र का संज्ञान लें।

यह परिपत्र सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

-Sd-

उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पीएमईजीपी)

प्रति,

1. सभी राज्य/ मंडलीय निदेशक, केवीआईसी।
2. सभी आंचलिक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण, केवीआईसी- सूचनार्थ।
3. निदेशक, समाधान समिति, लखनऊ।

प्रतिलिपि :

1. जेएस (एआरआई)एमएसएमई, नई दिल्ली।
2. माननीय अध्यक्ष सचिव।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के विशेष कार्य अधिकारी, केवीआईसी।